रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042024-253776
CG-DL-E-19042024-253776

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 19, 2024/चैत्र 30, 1946
No. 234] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 19, 2024/CHAITRA 30, 1946

नागर विमानन मत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2024

सा.का.नि. 248(अ).—जबकि, पहचान दस्तावेज़ के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी वितरण प्रक्रियाएं सरल होती हैं, पारदर्शिता और दक्षता आती है, और इससे आवेदक अपना काम सीधे सुविधाजनक निर्बाध तरीके से करने में सक्षम होते हैं, और आधार से अपनी पहचान साबित करने के लिए अनेक दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है;

और जबकि, केंद्र सरकार ने, ड्रोन नियमावली के तहत विशिष्ट पहचान संख्या और टाइप प्रमाणपत्र के लिए पंजीकरण और अनुप्रयोगों के दौरान, उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने के लिए, हां/नहीं अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करके, स्वैच्छिक आधार पर, आधार अधिप्रमाणन के निष्पादन हेतु आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18वां) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित, सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 के अंतर्गत अधिसूचित करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी का.ज्ञा. एफ. संख्या 10(11)/2023-ईजी-II दिनांक 1 मार्च, 2024 के द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के लिए प्राधिकार प्रेषित किया है।

अब, इसलिए, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, सुशासन सुनिश्चित करने के लिए, एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि नागर विमानन महानिदेशालय अपने सिविल एविएशन प्लेटफॉर्म के ई-गवर्नेंस के सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम

से, उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, सिविल एविएशन प्लेटफॉर्म के ई-गवर्नेंस पर, ड्रोन नियमावली, 2021 के तहत विभिन्न सेवाएं प्राप्त करने के लिए पंजीकरण हेतु, आवेदकों का अधिप्रमाणन निष्पादित करेगा।

[फा. सं. एवी-29012/185/2023-एसडीआईटी-एमओसीए]

पीयूष श्रीवास्तव, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2024

G.S.R. 248(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables applicants to get their work done directly in a convenient seamless manner, and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Central Government for the Ministry of Civil Aviation, conveyed authorisation *vide* O.M. eF. No. 10(11)/2023-EG-II dated 1st March, 2024 issued by Ministry of Electronics and Information Technology, to notify under rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), for performance of Aadhaar authentication, on a voluntary basis, for verifying the identity of users, using Yes/No authentication facility, during registration and applications for the Unique Identification Number and Type Certificate under the Drone Rules;

Now, therefore, the Ministry of Civil Aviation, Government of India, for the purpose of usage of digital platforms to ensure good governance, hereby notifies that Directorate General of Civil Aviation through its System Integrator of e-Governance of Civil Aviation platform will perform Aadhaar authentication of applicants for registration to obtain the various services under the Drone Rules, 2021 on the e-Governance of Civil Aviation Platform, on a voluntary basis, for verifying the identity of users.

[F. No. AV-29012/185/2023-SDIT-MOCA]

PIYUSH SRIVASTAVA, Senior Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.04.19 19:27:22 +05'30'